

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 01.02.2017

श्री अलोक कुमार वर्मा ने निदेशक, सीबीआई का पद भार ग्रहण किया

श्री अलोक कुमार वर्मा, 1979 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी (ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग) ने आज निदेशक, सीबीआई का पद भार ग्रहण किया। सीबीआई में नियुक्ति से पहले, श्री वर्मा दिल्ली के पुलिस आयुक्त के तौर पर सेवारत थे।

श्री वर्मा ने विभिन्न पदों पर सेवाएं दी एवं अपने 37 वर्षों के कार्यकाल में बहुत-सी भूमिकाएँ निभाई हैं। दिल्ली के पुलिस आयुक्त का पद भार संभालने से पूर्व, श्री वर्मा जेल महानिदेशक, दिल्ली ; पुलिस महानिदेशक, मिजोरम ; पुलिस महानिदेशक, पुडुचेरी एवं पुलिस महानिरीक्षक, अण्डमान एवं निकोबार के पद पर कार्य कर चुके हैं। वे केन्द्र शासित प्रदेश संवर्ग में सर्तकता, आसूचना, अपराध व रेलवे, प्रशासन, में बतौर विशेष आयुक्त, संयुक्त आयुक्त रेंज व उपायुक्त, दक्षिण जिला जैसे बहुत-से महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे। उन्होंने एफ.आर.आर.ओ., नई दिल्ली के तौर पर भी सेवाएँ दी हैं।

तकनीक की परिवर्तनकारी भूमिका के हिमायती, श्री वर्मा ने पुलिस तंत्र में तकनीकी को शीघ्र लागू करने हेतु संगठनों की विभिन्न परियोजनाओं का नेतृत्व किया है। मिजोरम, पुडुचेरी एवं अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह में पुलिस प्रमुख के तौर पर कार्य करते हुए, श्री वर्मा ने सेवाओं को सरल बनाने व अपनी टीम के मनोबल को उँचा उठाने के लिए कई सुधारात्मक एवं प्रगतिशील कदम उठाये। उन्होंने ने जिन चार संस्थानों का नेतृत्व किया है, वहाँ के स्टाफ का मनोबल बढ़ाने हेतु पदोन्नति में पारदर्शिता एवं कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों की भर्ती जैसे कई कदम उठाये हैं।

दिल्ली के पुलिस आयुक्त रहते हुए, श्री वर्मा ने स्टाफ को समय से पदोन्नति देकर संगठन के ठहराव को दूर किया एवं नागरिकों की सुरक्षा संरक्षा के प्रति बहुत सजग रहे। उन्होंने राजधानी में महिला पुलिस नियन्त्रण कक्ष (पी.सी.आर.) को शामिल किया। इनका प्रयास, पुलिस-जन संवाद, सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस की पारदर्शिता, तुरन्त कार्यवाही के माध्यम से जनमानस को सुविधा, स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रबन्धन, कठोर/ उग्र अपराधियों की पकड़ तथा अपराधों की रोकथाम करके पुलिस की जबाबदेही के ढाँचे को मजबूत करने का रहा है, श्री वर्मा ने चाहे प्रापन (प्रोक्योरमेन्ट) हो, शिकायतों का पंजीकरण हो या फोर्स के लिए शुरूवाती स्तर पर भर्ती का मामला हो, इन सभी कार्यों में उच्चतर पारदर्शिता लाने के पहल की है। श्री वर्मा ने विभिन्न तरह के लाइसेन्सों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा व संरक्षा हेतु आन-लाइन आवेदनों की परम्परा प्रारम्भ की तथा फोर्स के कल्याण के प्रति हिमायती रहे हैं।

श्री अलोक कुमार वर्मा, सेन्ट स्टीफन कालेज नई दिल्ली से इतिहास में स्नातकोत्तर हैं। उन्हें वर्ष-2003 में विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति के पुलिस पदक एवं वर्ष-1997 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है।

निदेशक, सीबीआई का पद भार ग्रहण करने के पश्चात, श्री वर्मा ने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता सत्य को उजागर करने के लिए अदम्य साहस एवं दृढ़ विश्वास के साथ स्वच्छ, निष्पक्ष एवं निर्णायक पूछताछ तथा जाँच करना होगी।

श्री वर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि सीबीआई के अधिकारियों को विधिक धरातल, विशेष रूप से आर्थिक अपराधों एवं साइबर अपराधों के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों के प्रति अपने को सचेत रखना होगा। श्री वर्मा ने परस्पर विश्वास की भावना के साथ टीम की तरह कार्य करने हेतु सीबीआई के कर्मियों को प्रोत्साहित किया ताकि जनमानस व न्यायपालिका का भरोसा संस्था में अनवरत बना रहे। उन्होंने समय से पदोन्नति सुनिश्चित करने एवं शिकायतों के निवारण की अविलम्ब आवश्यकता पर बल दिया जो कि संस्था के मनोबल के लिए महत्वपूर्ण है।

CBI ARRESTS THEN CHIEF OF AIR STAFF AND TWO OTHER ACCUSED IN AN ON-GOING INVESTIGATION OF A CASE

Press Release
New Delhi, 09.12.2016

The Central Bureau of Investigation has today arrested then Chief of Air Staff; his Cousin (Private person) and an Advocate/Consultant in an on-going investigation of a case related to alleged irregularities in the procurement of 12 AW-101 VVIP/VIP Helicopters from a UK based private company.

A case was registered on 12.03.2013 u/s 120B r/w 420 of IPC of and Sections 7,8,9,12 & 13(2) r/w 13(1)(d) of PC Act, 1988 against then Chief of Air Staff and 18 other accused persons/companies. It was alleged that Chief of Air Staff(CAS) entered into criminal conspiracy with other accused persons and in 2005, conceded to change IAF's consistent stand that service ceiling of VVIP Helicopters 6000 mtrs, was an inescapable operational necessity and reduced the same to 4500 meters. Such changes in Operational Requirements (ORs) made the private company based at UK, eligible to participate in the RFP for VVIP Helicopters. It was revealed during Investigation that such undue favours were allegedly shown to said UK based private company by accepting the illegal gratifications from the accused vendors through middlemen/relatives including his cousin & an advocate etc. who accepted the illegal gratification for exercising influence through illegal means, or using personal influence over the concerned public servants.

The arrested accused persons will be produced tomorrow before the Competent Court at Delhi.

The arrested accused persons will be produced tomorrow before the Competent Court at Delhi. Further investigation is continuing.

[Go Back](#)

